



284/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

दिनांक : 06 नवम्बर 2018

पत्रांक : 5034 /28/76/एक/2018-19
सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-फिरोजाबाद।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	30304503371	IFSC Code SBIN0004052	326.280

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०प० एका	मो० नगला पान सहाय में दिनेश के मकान से छैल बिहारी के मकान तक, शिवचरन के मकान से छैल बिहारी के मकान तक, दिनेश के मकान से मुख्य मार्ग तक, राजेश के मकान से बसदूराम के मकान तक, श्यामवीर के मकान से जालिम सिंह के मकान तक, जालिम सिंह के मकान से भगवान सिंह के मकान तक, माया राम के मकान से श्यामवीर के मकान तक एवं भगवान सिंह के मकान से मुख्य मार्ग तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	16.855
2	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०प० एका	मो० महताबनगर में रूप किशोर के मकान से सरनाम सिंह के मकान तक, रामकिशन के मकान से देवेन्द्र के मकान तक, अशोक के मकान से कुंवरपाल के मकान तक, रामसेवके के मकान से दीप के मकान तक, राम भरेसे के मकान से सुरेश चन्द्र के मकान तक, दाता राम के मकान से मुख्य मार्ग तक एवं महावीर के मकान से छोटे लाल के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	15.975



284/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

3	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०प० एका	नगर पंचायत एका में बाल्मीकि बस्ती में कुंवरपाल के मकान से वीर पाल के मकान तक, रशपाल के मकान से कुंवरपाल वाली गली तक, रक्षपाल के मकान से साधू सिंह के मकान तक एवं मुन्ना लाल के मकान से कामता प्रसाद के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	18.096
4	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	मो० लगला पान सहाय में भारत गैस से पप्पू के मकान तक, मलखान के मकान से कोटला रोड तक, अमर पाल महेन्द्र सिंह के मकान से मुख्य मार्ग तक, राजवीर के मकान से राम सनेही के मकान तक, श्यामलाल के मकान से मुन्नालाल के मकान तक, राजवीर के मकान से श्याम लाल के मकारन तक एवं रवीन्द्र के मकान से लाला के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	17.838
5	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	मो० नगला पान सहाय में पप्पू के मकान से राजू के मकान तक, मथुरा प्रसाद के मकान से प्रकाश के मकान तक, प्रकाश के मकान से पप्पू के मकान तक, गंगा देवी के मकान से भूरे के मकान तक, राम निवास के मकान से बृजेश के मकान तक राजू के मकान से वेदपाल के मकान तक तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	18.110
6	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	शिकोहाबाद में प्रतापपुर रोड पर संजू के मकान से मुरली के मकान तक सुनील के मकान से संजू के मकान तक, कमलेश के मकान से सदन सिंह के मकान तक, कमलेश के मकान से प्रतापपुर रोड तक, मान सिंह के मकान से उमाशंकर के मकान तक, नगला किला रोड में, दीपक के मकान से शंकर दयाल के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	17.238
7	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	मो० फफोट रोड पर ब्रिजी के मकान से शिवराम के मकान तक, नरेश के मकान से वीरेन्द्र के मकान तक, सुभाष के मकान से नेश के मकान तक, राजकुमार के मकान से नरेश के मकान तक, करन सिंह के मकान से मुख्य मार्ग तक, यशपाल के मकान से सुरेश के मकान तक, स्मारक मिलन केन्द्र से मुख्य मार्ग तक, देव कुमार के मकान से रामसिंह के मकान तक, राम चन्द्र के मकान से देव कुमार के मकान तक, राज पाल के मकान से मुख्य मार्ग तक, बुलाकी राम के मकान से मुख्य मार्ग तक एवं राजा कौशल किशोर इण्टर कालेज से बुलाकी राम के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	23.368
8	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	ओम नगर में सुभाष चन्द्र के मकान से गुडडू के मकान तक, सुभाष चन्द्र के मकान से राजू के मकान तक, सुभाष चन्द्र के मकान से कप्तान सिंह के मकान तक, रामू के मकान से गुडडू के मकान तक, नेम सिंह के मकान से कप्ताना सिंह के मकान तक एवं पातीराम के मकान से मैनपुरी रोड तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	22.932



284/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

9	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०पा०प० शिकोहाबाद	नगला पान सहाय में कोटला रोड से बिटटू के मकान तक सुषाष के मकान से बच्चू के मकान तक, मलखान सिंह के मकान से संजय के मकान तक, छोटे सिंह के मकान से मथुरा प्रसाद के मकान तक, कायम सिंह के मकान से सुरेश के मकान तक, संजय के मकान से मलखान एवं सोवरन ब्रम्हचारी के मकान तक, भूरी सिंह के मकान से अखिलेख के मकान तक, भगवान सिंह के मकान से पप्पू के मकान तक एवं बिटटू के मकान से केदारी लाल के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	21.522
10	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०पा०प० शिकोहाबाद	मो० खेडा में सोनपाल के मकान से बुलाकीराम के मकान तक, कुंवरपाल के मकान से भगवती के मकान तक, राजेन्द्र के मकान से मुख्यमार्ग तक, रनवीर के मकान से भोले के मकान तक, विनोद न से भोले के मकान तक, भोले के मकान से मुन्ना लाल के मकान तक, देवेन्द्र के मकान से मुन्ना लाल के चौक तक, प्रमोद के मकान से भोले के मकान तक एवं मुन्नालाल के मकान से भूरेलाल के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	30.828
11	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	मो० नगला दिशू में छोटे लाल इण्टर कालेज तक, शंकर के मकान से गिरेन्द्र के मकान गिरेन्द्र से रामविलास, महेश से बोरलाल, गिरेन्द्र से मुख्यमार्ग तक, धमेन्द्र से पील पतंगा बाजार तक, सतेन्द्र के मकान से सर्वेश के मकान तक, छोटे लाल के के कालेज से दिनेश के मकान तक दिनेश के मकान से रिचू के मकान तक, रामगोपाल के मकान से रमेश के मकान तक, तुलसी के मकान से महावीर के मकान तक, बलू के मकान से गुडडू के मकान तक, गुडडू के मकान से रामखिलाडी के मकान तक, सीताराम के मकान से राकेश के मकान तक एवं सुभाष के मकान से दीपचन्द्र के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	40.646
12	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	मो० न्यू प्रीमिअर नगर में राम प्रताप के मकान से मोहन लाल तक, हरि प्रसाद से भगवान दास तक, ज्ञान स्वरूप के मकान से भगवान स्वरूप के मकान तक, भगवान स्वरूप से बृजेश, शिवकुमार से रमेश, बृजेश से शंकर बीरबल के मकान से मुख्य मार्ग तक, मुकेश के मकान से रामवीर के मकान तक, राम प्रकाश के मकान से मुख्य मार्ग तक, नेत्रपाल के मकान से छोटे लाल के मकान तक (कावला में), छोटे लाल के मकान से राकेश के मकान तक, एवं राम सेवक के मकान से महावीर के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	39.756
13	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०पा०प० शिकोहाबाद	मो० सतलूनगर में साठपुश रोड पर मुन्ना लाल के मकान से पप्पू के मकान तक, पप्पू के मकान से सीताराम के मकान तक, विद्याराम के मकान से साठ फुटा रोड तक लाला बर्फ वाले से कांशीराम के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	10.779



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

14	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०पा०प० शिकोहाबाद	मो० महतबा नगर में राजपाल के मकान से जगन्नाथा तक, प्रेमनारायण से विजय सिंह तक, राकेश से सुखलाल तक, साहू से प्रेमनारायण तक, प्रेमनारायण से मुख्यमार्ग तक, सोमवीर से कालीचरन तक शिवचरन से करन सिंह तक, दौलत राम से जगन्नाथ तक, पप्पू से जूजा राम तक, दुर्गाभावन से महबूत राठौर तक, पप्पू से सुनील तक एवं सुनील से सुभाष तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	32.337
	योग				326.280

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि झूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।



284/5
284/5
राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक